



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसविवि/2025/

दिनांक

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2014/19337 दिनांक 06-09-2014 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2023/24927 दिनांक 15-09-2023 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत श्री सत्यनारायण नईवाल पुत्र श्री सूरज नारायण सेवानिवृत्त मैकेनिक कम वाहन चालक, निवासी-रामदेव मन्दिर के पास, घूघरा, अजमेर की सेवाएं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सामान्य प्रशासन अनुभाग (पूल) में मैकेनिक कम वाहन चालक से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.06.2025 की अनुपालना में संविदा/ समेकित वेतन पर पुनर्नियुक्ति की निम्नांकित शर्तों पर मैकेनिक कम वाहन चालक के रिक्त पद के विरुद्ध लिये जाने हेतु, उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये अथवा मैकेनिक कम वाहन चालक के पद पर नियमित मैकेनिक कम वाहन चालक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री सत्यनारायण नईवाल सेवानिवृत्त मैकेनिक कम वाहन चालक, सहायक कुलसचिव-सामान्य प्रशासन अनुभाग के निर्देशानुसार मैकेनिक कम वाहन चालक से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करेंगे।
2. सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2023/24927 दिनांक 15-09-2023 के परिशिष्ट-क' के अनुसार रु. 26100/- प्रतिमाह देय होगी।
3. संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (संलग्न परिशिष्ट)
4. संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे विश्वविद्यालय सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
5. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
6. संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।
7. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।
8. संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

श्री सत्यनारायण नईवाल अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के साथ नियमानुसार करारनामा एवं विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
संलग्नक:- परिशिष्ट।

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसविवि/2025/ 17125-141

दिनांक 25-6-25
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदसविवि, अजमेर।
2. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, मदसविवि, अजमेर।
3. समस्त उपकुलसचिव/समस्त सहायक कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।
4. ए. सी. पी./सहायक कुलसचिव-सामान्य प्रशासन अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।
5. निजी सचिव-कुलपति, मदसविवि, अजमेर।
6. निजी सहायक-कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।
7. श्री सत्यनारायण नईवाल पुत्र श्री सूरज नारायण सेवानिवृत्त मैकेनिक कम वाहन चालक, निवासी-रामदेव मन्दिर के पास, घूघरा, अजमेर। (मोबाईल नंबर-9414300101)
8. रक्षित पत्रावली संस्थापन अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।

सहायक कुलसचिव (संस्थापन)